सरपंच ग्रामी रमेश

<u>प्रार्थना पत्र 251 ए उपधारा (1)</u>

9/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से पत्रावली पर वकील उभय पक्ष यादव को सुना प्रस्तुत पत्रावली का भी अवलोकन किया अप्रार्थीगण सं० 1 ता० 6 ने आपत्ति जाहिर नहीं है। वकील उभय पक्षकारान आदेशिका पर हस्ताक्षर कर आग्रह जाहिर कि प्रकरण मे वर्णित बमौजिब निस्तारण किया जावे। अत: प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दाखिल दफ्तर जावे आ० मिसल किया गया उपखण्ड फैसला हो

हो
9/12/23

जवाब में वर्णित नक्शे के अनुसार विभाजन कर दिया है अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है

(हस्ताक्षर)
09.12.23

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधीश महोदय,
लालसोट, जिला– दौसा (राज0)

प्रविष्ठि दिनांक 21.10.2021

मुकदमा संख्या – 49/2021

पीठासीन अधिकारी:– नरेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

सरलारानी पत्नी जौहरीलाल पहाडिया जाति खटीक निवासी ग्राम थलौज तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी/आवेदक)

बनाम

1. रमेश ⎤ पि0 प्रभूलाल
2. प्रकाश ⎥
3. हेमराज ⎦
4. रामप्यारी देवी पत्नी स्व0 प्रभूलाल
5. नाथूलाल पुत्र ज्ञानचंद
6. केसरदेवी पत्नी स्व0 पन्नाराम जाति बैरवा निवासी बिलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा (मृतक)
7. नाथीदेवी पुत्री पन्नाराम पत्नी भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बासपरसा तहसील बौंली जिला स0 मा0
8. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला– दौसा

(अप्रार्थीगण)

<u>आवेदन पत्र अ0 धारा 251 ए उपधारा (1)</u>
<u>रा0 का0 अधि0 1955</u>

उपस्थित:– प्रार्थी की ओर से– श्री कमलेश कुमार सैनी प्रथम एड0
अप्रार्थीगण की ओर से– श्री घनश्याम सैनी एड0

निर्णय दिनांक:– 09.12.2023

::निर्णय::

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश हुआ तथा उभय पक्षो की सहमति अनुसार प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0 नं0 265/106 ग्राम थलौज तहसील लालसोट में स्थित है जिसमें अपनी कृषि जिन्सो को लाने ले जाने हेतु कोई आवागमन का रास्ता नही है तथा अप्रार्थी पक्ष की भूमि आराजी ख0 नं0 107 ग्राम थलौज तहसील लालसोट मे होकर प्रार्थी द्वारा 15 फिट चौडाई का रास्ता चाहने हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई जिस पर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जवाब के साथ नक्शा पेश कर उसमें क, ख, ग, घ में होकर रास्ता देने हेतु सहमति प्रदान की गई है एवं प्रार्थी की भूमि मे कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना स्वीकार किया गया है। तथा जवाब मे वर्णित रास्ते में होने की स्वीकृति दी गई है किन्तु हस्तगत प्रकरण मे जिस ख0 नं0 208 बाबत् स्वीकृति दी गई वह अप्रार्थी पक्ष की नही है तथा प्रकरण मे तहसीलदार लालसोट की ओर से रिपोर्ट पेश हुई है जिस पर अप्रार्थी पक्ष का कोई ऐतराज भी नही रहा है इसलिये अप्रार्थी पक्ष की स्वीकृति स्वीकार योग्य प्रतीत नही होती है। तथा तहसीलदार लालसोट की ओर से पेश मौका रिपोर्ट जो कि मय नक्शा पेश की गई है मे आराजी ख0 नं0 265/106 मे प्रार्थी के आवागमन हेतु ख0 नं0 107 में होकर रास्ता होना अंकित किया है एवं उक्त प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीक होना भी वर्णित हो उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी नाथूलाल के भी हस्ताक्षर है। इसलिये प्रार्थी पर तथा तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण पत्रावली में मौजूद नही है। अतः प्रकरण में तथ्यों व परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी सरलारानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

::आदेश::

अतः प्रार्थीनी सरलारानी की ओर से रा0 का0 अधि0 की धारा 251ए(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीनी की भूमि खसरा नं0 265/106 रकबा 6.0000 हैक्टेयर वाके ग्राम थलौज तहसील लालसोट जिला दौसा में आवागमन हेतु नवीन रास्ता अप्रार्थी पक्ष की भूमि ख0 नं0 107 रकबा 12.1600 हैक्टेटयर ग्राम थलौज तहसील लालसोट जिला दौसा में होकर तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शे में वर्णित अनुसार 15 फिट चौडाई का मौके पर कायम किया जाकर राजस्व अभिलेख माल नक्शा ट्रेस मे अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व नक्शा की प्रति के साथ तहसीलदार लालसोट को अविलम्ब भिजवाय जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद क्षतिपूर्ति दफ्तर दाखिल है।

नरेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा